

क्रम-संख्या--140 (प)

राज.न.एल.एल./एन.पी.890

लाइसेंस नं. एल.पी.-41

लाइसेंस द्वा. एल.एल. एल.पी. 890



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अप्रैल, 2000

चैत्र 21, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 917/सचह-वि-1-1 (क)-11-2000

लखनऊ, 10 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

द्विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इस्तेमाल के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 2000 से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

संयुक्त प्रान्त  
अधिनियम संख्या 4  
सन् 1910 की  
धारा 28 का  
संशोधन

निरसन और  
अपवाद

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है; धारा 28 में उपधारा (3) में, खण्ड (ए), (सी); (डी) और (ई) में; सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आगे हुए शब्द "पन्द्रह रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द "तीस रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,  
प्रमुख सचिव।

No. 917 (2)/XVII-V-1-1(KA) 11-2000

Dated Lucknow, April 10, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abakari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 7, 2000.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT)  
ACT, 2000

(U. P. ACT No. 13 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows : -

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall come into force on April 1, 2000.

Amendment of  
section 28 of  
U. P. Act no. 4  
of 1910

2. In section 28 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), in each of the clauses (a), (c), (d) and (e) for the figure and words "Rs. 15 per litre" occurring against item 2 (a) in the table, the figure and words "Rs. 30 per litre" shall be substituted.

Repeal and  
Savings

3. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,  
Y. R. TRIPATHI,  
Prमुख Sachiv.